



खण्ड III ♦ अंक 1

जुलाई 2006

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट
इन्फॉर्मेशन रिव्यू

नीति

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय हेतु दिशानिर्देश - उद्धृत अंश भाग-1

वार्षिक नीति 2006-07 की पहली तिमाही समीक्षा की
मुख्य-मुख्य बातें

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 25 जुलाई 2006 को वर्ष 2006-07 की मौद्रिक नीति के संबंध में वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की।

मुख्य-मुख्य बातें

- रिर्व्स रिपो दर बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत और रिपो दर 7.0 प्रतिशत की गई।
- बैंक दर और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) अपरिवर्तित रखा गया।
- वर्ष 2006-07 के लिए सदेउ (जीडीपी) में वृद्धि का अनुमान 7.5 से 8.0 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया।
- वर्ष 2006-07 के लिए मुद्रा स्फीति को 5.0 - 5.5 प्रतिशत के भीतर बनाए रखने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं में उचित प्राथमिकता को वरीयता।
- मुद्रा आपूर्ति, जमा और क्रेडिट में दर्शाए गए अनुमानों से अधिक वृद्धि सावधानी बरतने की आवश्यकता बताती है।
- मूल्य और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप कानूनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित चलनिधि बनाए रखनी होगी।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी विपरीत और अप्रत्याशित गतिविधियों के उदय को छोड़कर तथा मुद्रा स्फीति के दृष्टिकोण सहित अर्थव्यवस्था के मौजूदा आकलन को दृष्टिगत रखते हुए आने वाली अवधि में मौद्रिक नीति का समग्र दृष्टिकोण निम्नानुसार होगा :
 - ♦ मुद्रा स्फीतिगत प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखने की दृष्टि से मूल्य स्थिरता पर जोर देते हुए एक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो वृद्धि की गति को जारी रखे।
 - ♦ ऋण की गुणवत्ता और वित्तीय बाजार स्थितियों पर अपने फोकस को और मजबूत बनाना ताकि समष्टि आर्थिक और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता बनाये रखने हेतु अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश की मांग को समर्थन मिलता रहे।
 - ♦ ऐसे उपायों पर विचार करना जो मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं और वृद्धि की गति को प्रभावित करने वाली वैश्विक और देशी परिस्थितियों के संबंध में उचित हों।

आवधिक रूप से बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है तथा इससे आर्थिक लक्ष्य बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। राज्य और स्थानीय प्राधिकरण प्रभावित लोगों के आर्थिक पुनर्वास का कार्यक्रम तैयार करते हैं। यह अत्यावश्यक है कि बैंकों के पास की जाने वाली कार्रवाई संबंधी योजनाएं होनी चाहिए ताकि जिला/राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित घोषणा किए जाने के तुरन्त बाद अपेक्षित राहत और सहायता तीव्र गति से उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि ये अनुदेश राज्य सरकार प्राधिकरणों तथा सभी जिला कलेक्टरों के पास भी उपलब्ध हों ताकि सभी संबंधितों को मालूम रहे कि प्रभावित क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं द्वारा क्या कार्रवाई की जानी है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों, लघु उद्योग इकाइयों, दस्तकारों, छोटे व्यावसायियों तथा व्यापारिक संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की जाती है।

जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक

समन्वयनपूर्ण कार्रवाई सुसाध्य बनाने की दृष्टि से प्रभावित जिलों की जिला परामर्शदात्री समितियों और या राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजकों को प्राकृतिक आपदा घटने के तुरन्त बाद एक बैठक आयोजित करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता राशि निर्धारित करते समय बैंकों को राज्य सरकार तथा/अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता/सब्सिडी का भी ध्यान रखना चाहिए।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
नीति	
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय हेतु दिशानिर्देश - उद्धृत अंश भाग-1	1
वार्षिक नीति 2006-07 की पहली तिमाही समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें	1
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज	3
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार -राष्ट्रीय आवास बैंक / हुडको द्वारा जारी विशेष बांडों में निवेश	3
इलेक्ट्रॉनिक पर्स स्कीम	
इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करना	4
राजभाषा	
भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शीलड पुरस्कार समारोह	4
भुगतान प्रणालियां	
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) - नामे समाशोधन - ग्राहक अधिदेश (मैनडेट)	4

बैंकों के मंडल / आंचलिक प्रबंधकों को विवेकाधिकार

वाणिज्य बैंकों के मंडल प्रबंधकों/अंचल प्रबंधकों को कतिपय विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि अपेक्षित कार्यवाई के लिए उन्हें अपने केन्द्रीय कार्यालयों से नया अनुमोदन लेने की आवश्यकता न पड़े।

हिताधिकारियों की पहचान

बैंक शाखाओं को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों से अपने परिचालन क्षेत्र में प्रभावित गाँवों की सूचियाँ प्राप्त करनी चाहिए। तथापि, बैंकों को नए उधारकर्ताओं के बारे में इस संबंध में जाँच अपने विवेक के आधार पर करनी चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्राधिकरणों की सहायता, जहाँ भी उपलब्ध हो, लेनी चाहिए।

कवरेज

अपने अधिकार क्षेत्र के उधारकर्ता सदस्यों की ऋण आवश्यकताएँ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पीएसीएस)/बड़े आकारवाली बहुउद्देशीय समितियाँ (एलएएमपीएस)/ कृषक सेवा समितियाँ (एफएसएस) आदि पूरी करेंगी, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य वित्तीय एजेंसी के माध्यम से सहायता न ली हो। तथापि, वाणिज्य बैंकों की शाखाएँ सहकारी समितियों के उधार न लेनेवाले सदस्यों को वित्त प्रदान कर सकती हैं, जिसके लिए सहकारी समितियाँ सामान्य ठअनापत्तिड प्रमाणपत्र शीघ्र जारी करेंगी।

प्राथमिकताएँ

खड़ी फसलों/फलोद्यानों/बागानों, आदि के संरक्षण और कायाकल्प के लिए वित्त की आवश्यकता होगी तथा साथ ही पशुधन शेड, अनाज और चारा भंडारण, ड्रेनेज, पंपिंग लाइन की मरम्मत और संरक्षण तथा पंपसेटों, मोटरों, इंजिनों और अन्य आवश्यक औजारों की मरम्मत का कार्य और अन्य उपाय भी उतने ही जरूरी हैं।

कृषि ऋण

फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण तथा दुधार/जुताई करनेवाले पशुओं की खरीद, मौजूदा नलकूप और पंपसेट की मरम्मत, नए नलकूपों की खुदाई और नए पंपसेट लगाना, भूमि सुधार, गाद (सिल्ट)/रेत हटाना, खड़ी फसलों/फलोद्यान/बागान आदि के संरक्षण तथा कायाकल्प के लिए, पशुधन शेड, अनाज और चारा भंडारण ढाँचे की मरम्मत और सुरक्षा, आदि के लिए मीयादी ऋण के रूप में कृषि संबंधी ऋणों की मात्रा का निर्धारण बैंक स्वयं कर सकते हैं।

फसल ऋण

सरकारी प्राधिकारियों को यह बताने के लिए अन्नेवारी घोषित करनी चाहिए कि फसल का कितना नुकसान हुआ है। जिला परामर्शदात्री समिति के विचारों से समर्थित जिलाधीश से इस आशय का प्रमाणपत्र कि फसल की उपज सामान्य से 50% कम है, पर्याप्त होगा। जिलाधीश द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र फसल-वार होना चाहिए जिसमें सभी फसलें शामिल हों। जिलाधीश अग्रणी बैंक अधिकारी से जिला समन्वय समिति की बैठक बुलाने और प्रभावित क्षेत्र में हुए फसल के नुकसान की मात्रा के संबंध में जिला समन्वय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि जिला समन्वय समिति इस बात से संतुष्ट है कि फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, कृषि ऋणों को दी जानेवाली राहत प्रभावित किसानों को अन्नेवारी घोषित किए बिना भी दी जा सकती है।

परिवर्तन सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु दिशा-निर्देश

प्राकृतिक आपदा होने वाले वर्ष में अल्पावधि ऋणों की देय मूल धन की राशि तथा ब्याज को मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जाए या चुकौती की अवधि को उचित रूप से पुनः निर्धारित किया जाए। वसूली न गई राशियों को एक

के बाद एक फसलों के खराब होते और गंभीरता के आधार पर कार्यदल/राज्य स्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से 3, 5, 7 या 9 वर्षीय ऋणों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

परिवर्तित ऋण/बढ़ाई गई अवधि वाले मीयादी ऋणों (अतिदेयों से इतर) की किस्तों के लिए एक ही देय तारीख परिवर्तन लंबित रखते हुए नए ऋण देना, नए ऋण देते समय अल्पावधि उत्पादन ऋणों को परिवर्तन, 3 वर्ष या अधिक समय के लिए पुनर्निर्धारण, अल्पावधि ऋणों पर प्रभारित ब्याज की कुछ दरें लगाना, आदि जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

परिवर्तित/पुनःनिर्धारित ऋण वर्तमान अतिदेय के रूप में माने जाएंगे और बैंकों को इन पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना चाहिए। अग्रणी बैंक तथा संबंधित जिला प्राधिकरणों को एक प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, जिसमें उधारकर्ताओं की पहचान, सरकारी/सहकारी/बैंक देयों संबंधी प्रमाणपत्र जारी करना, भूमि के लिए आवेदक का हकनामा, आदि का भी साथ-साथ प्रबंध किया जाए ताकि विलंब न हो।

जिला प्राधिकरणों से विचार विमर्श करके ऋण कैम्प लगाने की संभावनाओं को पता लगाया जाए। राज्य सरकार कार्यकारी आदेश जारी करने की व्यवस्था करेगी, जिससे निम्नलिखित अधिकारी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उधार कैम्प कार्यक्रम के तत्संबंधित कर्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ निभा सकें।

- क) खंड विकास अधिकारी
- ख) सहकारी निरीक्षक
- ग) राजस्व प्राधिकारी / ग्राम राजस्व सहायक
- घ) क्षेत्र में कार्यरत बैंक अधिकारी
- ङ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ / बड़े आकार वाली बहुउद्देशीय समितियाँ / कृषक सेवा समितियाँ
- च) ग्राम पंचायत प्रधान

विलंब टालने के लिए उधार कैम्प हेतु जिलाधीशों द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रमाणपत्रों के फार्म छपवाये जाएँ।

राज्य सरकार के प्रति आवेदकों की वर्तमान देयता पर ध्यान न दिया जाए, बशर्ते राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा की तारीख को सरकार के प्रति देय सभी राशियों पर पर्याप्त रूप से लंबी अवधि के लिए स्थगन घोषित किया हो।

वित्त का मान

जिले में विभिन्न फसलों का वित्तीय मान एक समान होगा और मानदंडों तथा प्रचलित शर्तों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए। मान निर्धारित करते समय, उधारकर्ता की न्यूनतम उपभोक्ता आवश्यकताओं पर विचार किया जाए। संबंधित जिलाधीशों तथा बैंकों की शाखाओं के प्रबंधकों को ऐसे निर्धारित मान अपनाने के लिए सूचित किया जाए।

विकास ऋण - निवेश लागत

उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और प्राकृतिक आपदा के स्वरूप को ध्यान में रखकर वर्तमान मीयादी ऋण किस्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगन किया जाना चाहिए, अर्थात्

- i) सूखा, बाढ़ या चक्रवात, आदि जहाँ केवल उसी वर्ष फसल खराब हुई है और उत्पादक आस्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा है।
- ii) बाढ़ या चक्रवात जहाँ उत्पादक आस्तियाँ अंशतः या पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं और उधारकर्ताओं को नए ऋण की आवश्यकता हो।

श्रेणी (i) के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा के संबंध में बैंक निम्नलिखित अपवादों के अधीन प्राकृतिक आपदा के वर्ष के दौरान किस्तों के भुगतान को

स्थगित कर सकते हैं तथा ऋण की अवधि एक वर्ष आगे बढ़ा सकते हैं :-

- क) उन कृषकों को जिन्होंने वह विकास और निवेश नहीं किया है जिसके लिए ऋण लिया था अथवा ऋण की राशि से खरीदे गए औजार अथवा मशीनरी बेच दी हो;
- ख) वे जो आयकर दाता हैं;
- ग) सूखे की स्थिति में, जहां सिंचाई के बारहमासी स्रोत तो हैं लेकिन नहरों में पानी न छोड़ा गया हो अथवा अन्य बारहमासी स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी;
- घ) ट्रैक्टर मालिक, केवल वास्तविक मामलों में जहाँ आय समाप्त हो गई हो तथा उसके परिणामस्वरूप उनकी चुकौती क्षमता में कमी आई हो।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत, पहले वर्षों में जानबूझकर की गई चूक वाली किस्तें पुनर्निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगी। अवधि बढ़ाने का निर्धारण करते समय ब्याज की पाबन्दी को भी हिसाब में लिया जाना चाहिए।

श्रेणी (ii) के संबंध में अर्थात् जहाँ उधारकर्ता की आस्तियाँ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ऋण की अवधि बढ़ाकर उनका पुनर्निर्धारण उधारकर्ता की पुराने मीयादी ऋणों की चुकौती प्रतिबद्धता सहित अल्पावधि ऋणों तथा नए ऋणों की चुकौती स्थगित होने पर (मध्यम अवधि ऋण) परिवर्तित ऋण के प्रति उनकी समग्र चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाए। ऐसे मामलों में सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सब्सिडी, बीमा योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध मुआवजा इत्यादि कम करके (ब्याज देयता सहित) कुल ऋण की चुकौती अवधि उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के अनुसार निर्धारित की जाए जिसकी अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा भूमि तैयार करने, सिल्ट हटाने, भूसंरक्षण इत्यादि से संबंधित ऋण के मामलों के अतिरिक्त यह निवेश के स्वरूप, वित्तपोषित नई आस्तियों की अवधि (उपयोगिता) के अधीन होगी। अतः कृषि मशीनरी यथा पम्पसेटों और ट्रैक्टरों के लिए ऋण के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल ऋण अवधि अग्रिम की तारीख से सामान्यतया 9 वर्ष से अधिक न हो।

वर्तमान मीयादी ऋणों के पुनर्निर्धारण के अतिरिक्त बैंक प्रभावित किसानों को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के मीयादी ऋण उपलब्ध कराएंगे यथा :-

- क) लघु सिंचाई : कुँओं, पम्पसेटों की मरम्मत के लिए मीयादी ऋण, जिसकी मात्रा क्षति मूल्यांकन के बाद मरम्मत की अनुमानित लागत के आधार पर तय की जाएगी।
- ख) बैल : जहाँ जुताई के लिए प्रयोग किए जाने वाले जानवर बह गए हों, बैलों/भैसों की नई जोड़ी खरीदने के लिए नए ऋण के आवेदन पर विचार किया जा सकता है।
- ग) दुधारु पशु : दुधारु पशुओं के लिए आवधिक ऋण देने के लिए जानवरों की नस्ल, दूध से प्राप्त होने वाली आय, इत्यादि के आधार पर विचार किया जा सकता है। इस ऋण में छप्परो की मरम्मत, औजारों तथा चारे की खरीद के लिए भी राशि सम्मिलित होगी।
- घ) बीमा : चक्रवात तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों में इस आशंका के मद्देनजर जानवरों का बीमा कराया जाना चाहिए।
- ङ) मुर्गी पालन और सुअर पालन : मुर्गी पालन, सुअर पालन तथा बकरी पालन हेतु ऋणों के लिए बैंकों द्वारा अपने मानदण्डों के अनुसार विचार किया जाएगा।
- च) मत्स्यपालन : उन उधारकर्ताओं के मामले में जिनकी नाव, जाल और अन्य उपकरण नहीं रहे, उन्हें वर्तमान अतिदेय राशि के भुगतान के पुनर्निर्धारण की अनुमति उनके मामले के गुणदोषों के आधार पर दी जाए। उन्हें 3-4 वर्ष की अवधि के लिए नए ऋण दिए जाएँ। वर्तमान उधारकर्ताओं

की नावों की मरम्मत के लिए ऋणों पर भी विचार किया जाए। उन मामलों में, जहाँ सब्सिडी उपलब्ध है, ऋण को उस सीमा तक कम किया जाए। उन राज्यों में जहाँ नाव, जाल इत्यादि के लिए मूल सब्सिडी उपलब्ध होने वाली हो, वहाँ राज्य सरकार के विभाग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रिम देने के लिए अन्य मानदण्डों के अनुपालन के अतिरिक्त, मत्स्य विभाग से सहायता की मांग की जाए। नावों का व्यापक रूप से जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी जोखिमों के लिए बीमा कराना चाहिए।

(क्रमशः)

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को राहत उपायों का पैकेज

माननीय प्रधान मंत्री ने कृषि ऋण के संबंध में विदर्भ के छः ऋणग्रस्त जिलों यथा अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुलढाना में किसानों की विपत्ति को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है।

दिनांक 01 जुलाई 2006 तक के अतिदेय ऋणों पर पूरा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा तथा सभी किसानों पर उस तारीख तक कोई पिछला ब्याज भार नहीं होगा ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से नए ऋण हेतु तत्काल प्रभाव से पात्र होंगे।

किसानों के 01 जुलाई 2006 को अतिदेय ऋणों को एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित 3-5 वर्ष की अवधि में पुनः निर्धारित किया जाएगा।

माफ की गई राशि के 50% के अपने हिस्से के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट अनुसार अतिदेय ब्याज में छूट का भार राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। उपर्युक्त के अनुसार अतिदेय ब्याज का प्रभाजन करते समय, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पहले ही की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, को भी उचित रूप से समायोजित किया जाएगा।

अतः रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र में कार्यरत बैंकों को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी किसानों के ऋण खाते जो 01 जुलाई 2006 को अतिदेय हैं इस पैकेज के अनुसार पुनः निर्धारित किए जाएँ तथा 01 जुलाई 2006 को उन खातों में जो भी ब्याज हो वह पूरा माफ़ कर दिया जाए। ऐसे किसानों को नया वित्त देना सुनिश्चित किया जाए। बैंकों द्वारा दी जाने वाली रु. 1275 करोड़ की कुल राशि जो बैंकों द्वारा बांटी जानी है वह बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र द्वारा (राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक के रूप में) इन जिलों में कार्यरत बैंकों के बीच आबंटित की जाएगी।

माफ़ किए गए ब्याज की राशि राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक को सूचित की जाए।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार -राष्ट्रीय आवास बैंक / हुडको द्वारा जारी विशेष बांडों में निवेश

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत बैंक के निवेशों को तर्कसंगत बनाने और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को सीधे उधार देने में क्रमिक रूप से बढ़ोत्तरी करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक/हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा जारी किये गये बांडों में 01 अप्रैल 2007 को या उसके बाद जो निवेश किये जायेंगे वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

दिसंबर 1999 के परिपत्र के अनुसार प्रति आवास इकाई के आवासन के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक/हुडको द्वारा विशेषरूप से जारी किये गए बांडों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किये गए निवेशों की गणना में, चाहे ऋण का आकार जो भी हो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों के अंतर्गत शामिल माने गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक पर्स स्कीम**इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के लिए समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करना**

कुछ कंपनियों ने यह उल्लेख करते हुए इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाएं प्रारंभ की हैं कि - (i) कोई भी व्यक्ति उनकी वेबसाइट पर जाकर एक साधारण सा फार्म भरकर जिसमें उसका व्यक्तिगत विवरण होगा, अपना पंजीकरण करवा सकता है; (ii) इसके बाद पंजीकृत व्यक्ति का सेवा प्रदाता के पास एक खाता हो जाएगा; (iii) इन खातों का निधीयन बैंक खातों या क्रेडिट कार्ड खातों से धन अंतरण करके किया जाएगा; (iii) यह धन उस खाता धारक के इलेक्ट्रॉनिक पर्स खाते में जमा कर दिया जाएगा जबकि वास्तविक धन समाशोधन और निपटान बैंक के पास सेवा प्रदाता के चालू खाते में जमा होगा; (iv) यह इलेक्ट्रॉनिक पर्स खाता धारक अपने खाते में जमा धन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक खाते में अंतरित करके या कहीं भी किसी भी खाते में अंतरित करके (जो कि आरटीजीएस/जीडी के माध्यम से किया जाता है) अपने खाते की राशि का उपयोग कर सकता है।

उपर्युक्त गतिविधियों का स्वरूप जमाराशियां स्वीकार करने जैसा है जो कभी भी मांग पर आहरित की जा सकती हैं। मांग पर चुकाने योग्य जमाराशियां स्वीकार करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों का उल्लंघन है जोकि गैर-बैंकिंग कंपनियों के पंजीकरण और जमाराशियों के स्वीकरण को नियंत्रित करता है।

रिजर्व बैंक ने ऐसी सेवाएं देनेवाली कंपनी से कहा है कि वह ऐसा कार्य करने से बाज आए। बैंकों को सावधान किया जाता है कि वे यथा उल्लिखित ऐसी योजनाओं में लिप्त न हों।

राजभाषा**भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड पुरस्कार समारोह**

आम आदमी की भाषा में बेहतर ग्राहक सेवा और संप्रेषण/पत्राचार पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। चूंकि हिंदी राजभाषा होने के साथ-साथ अधिकांश राज्यों में आम तौर पर समझी जाने वाली भाषा है। बैंक अपने दैनंदिन कामकाज में इसका उपयोग कर रहे हैं और इससे उन्हें बेहतर ग्राहक सेवा देने में बहुत सहायता मिलती है। यहां तक कि बैंक और कंपनियां अपनी सेवाओं और उत्पादों के विपणन में हिंदी का कारगर उपयोग कर रहे हैं। वर्ष 2004-05 के लिए शील्ड प्रदान करते समय डॉ. वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि हमें उस वर्ग के ग्राहकों के बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। मैं मानता हूँ कि तत्काल पूरा काम केवल हिंदी में करना संभव नहीं है लेकिन हम एक योजना बनाकर अपना काम स्थानीय भाषा और हिंदी में कर सकते हैं। इस समारोह में सर्वोत्तम गृह पत्रिका और अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं के पुरस्कार प्रदान किए गए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना वर्ष 1980 में बनायी गयी थी। इस योजना के साथ रिजर्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए गृह-पत्रिका प्रतियोगिता भी आयोजित करता है। वर्ष 2002-2003 से रिजर्व बैंक ने अंतर-बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता की भी शुरुआत की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री वी.लीलाधर ने विजेता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि जनतंत्र में जनता और सरकार की दैनंदिन कामकाज की भाषा एक ही होनी चाहिए जिसे जनता समझती हो। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र के बहुभाषी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रयोग प्रेरणा और प्रोत्साहन से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा और स्वयं हिंदी में काम करना होगा ताकि दूसरे प्रोत्साहित हों।

इससे पहले श्री वी.के.शर्मा, कार्यपालक निदेशक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों का स्वागत किया। श्री एच.एन.प्रसाद, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग ने आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के राजभाषा विभाग के उप महाप्रबंधक श्री रमाकांत शर्मा ने किया।

भुगतान प्रणालियां**इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा(ईसीएस) - नामे समाशोधन - ग्राहक अधिदेश (मैनडेट)**

नामे समाशोधन लेनदेनों की वृद्धि का कदम जमा समाशोधन की तुलना में काफी आगे है और बहुत सी सेवोपयोगी कंपनियां/बैंक इस प्रणाली का उपयोगी(युटिलिटी) भुगतानों से संबंधित बिलों की वसूली, मासिक किस्तों, आदि के लिए उपयोग करते रहे हैं।

ईसीएस (नामे) प्रणाली दूरस्थ खाता धारकों द्वारा उपयोगी संस्थाओं को उनके खाते में नामे डालने के लिए दिये गये अधिदेश की बिना पर काम करती है। अधिदेश की एक प्रति खाताधारक द्वारा अथवा उपयोगी संस्था द्वारा बैंक को ईसीएस (नामे समाशोधन) के माध्यम से जारी किये गये नामे अनुदेश की वैधता की जांच करने के लिए भेजी जाती है।

रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किये गये एक अनौपचारिक सर्वेक्षण से पता चला कि बहुत सी बैंक शाखाएं अपेक्षित अधिदेश (मैनडेट) फार्म ठीक तरीके से नहीं रखती हैं। वे नेमी तरह से समाशोधन गृह से प्राप्त ईसीएस (नामे) फाइलों के आधार पर नामे करती हैं। बैंक शाखाएं यह भी दर्शाती हैं कि उनके पास किसी भी ईसीएस (नामे) अधिदेश को रिकार्ड करने का प्रावधान नहीं है। यदि है भी तो वह एक या दो अधिदेश ही रिकार्ड कर सकती हैं जबकि कतिपय खाताधारक ईसीएस के माध्यम से नामे करने के लिए अनेक जनोपयोगी सेवा संस्थाओं को अधिदेश दे चुके होते हैं।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि डेबिट मैनडेट मैनेजमेंट सिस्टम को आंतरिक व्यवस्था कार्य का एक अंग होना चाहिए। अधिदेश की वैधता अवधि के साथ-साथ वैयक्तिक लेनदेन की एक उच्चतम सीमा भी होनी चाहिए। यह उच्चतम सीमा हर अधिदेश के लिए अलग-अलग हो सकती है। यह सूचित किया था कि ग्राहक के आहरण अनुदेशों को चेक समाशोधन प्रणाली में भुगतान रोक अनुदेश के समान ही माना जाना चाहिए। अतः यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि अधिदेशों और आहरण, यदि कोई हों, को रिकार्ड करने में पर्याप्त सावधानी बरती जाए।

अनुरोध है कि आपका बैंक ईसीएस (नामे) लेनदेनों हेतु एक सटीक अधिदेश प्रबंध नेमी कार्य प्रणाली स्थापित करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए।